रामलाल बनाम हेमाराम 50/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.12.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज....S.O. ..... है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 22.1.25 को पेश हो।	
22.1.25	पत्रावली पेश । वकील उभय पक्ष उप. पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19.2.25 को पेश हो।	
19.2.25	पत्रावली पेश । वकील उभय पक्ष उप. पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.3.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
20.3.25	पत्रावली पेश । वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.3.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर)
25.3.25	पत्रावली पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 50 / 2023

1 रामलाल उम्र 85 साल पुत्र जवाराराम जाति जाट निवासी ग्राम तूनवा तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 हेमाराम उम्र 82 साल पुत्र जवाराराम जाति जाट निवासी ग्राम तूनवा तहसील नेछवा जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर।
3 तहसीलदार नेछवा जिला सीकर।
4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेछवा जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक ।
5 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर जरिए शाखा प्रबंधक

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 06.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार मीणा आरएएस राजस्व वाद संख्या 21 / 2023 बउनवानी हेमाराम बनाम रामलाल आदि दावा बाबत बंटवारा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूलसिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 216/1, 184/4, 59, 60, 276/2, 164/1 वाके ग्राम तूनवा तहसील नेछवा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को निर्णित करने की विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की जिसके तहत वाद पत्र प्रस्तुत होने एवं दर्ज होने के पश्चात जरिए समन विपक्षीगण को तलब किया जाता है इस संबंध में विचारण न्यायालय की दिनांक 20.03.2023 की आदेशिका का अवलोकन किया जाये तो विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगणों के जरिए समन तलब करने का आदेश पारित किया है परन्तु दिनांक 06.04.2023 को आगामी आदेशिका का अवलोकन किया जावे तो अपीलान्ट की तामील जरिए रजिस्टर्ड एडी रसीद एवं प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करना अंकित किया है जबकि अपीलान्ट की रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवाने का दिनांक 20.03.2023 को कोई आदेश पारित नहीं किया था, ना ही इस प्रकार का कोई

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रजिस्टर्ड नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड नोटिस का आदेश पारित करने पर ही रजिस्टर्ड डाक से तामील करवायी जा सकती है जिससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.03.2023 के आदेश का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 06.04.2023 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस की रसीद व प्राप्ति रिपोर्ट का बिना किसी आदेश के ही अंकित कर दिया। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट की तामील होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और सीधे ही प्राथमिक डिकी एवं निर्णय वादी के निवेदन पर पारित कर दिया। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, ना ही वाद पत्र में अंकित किया गया प्रकार का पूर्व में कोई विभाजन के कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया, ना ही दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद पत्र में खसरा नम्बर 216/1 रकबा 4.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 184/4 रकबा 2.29 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.34 हैक्टेयर सड़क मार्ग से लगती बेशकिमती भूमि को अपने हिस्सा में बताया एवं दूरदराज की कम किमती भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276/2 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164/1 रकबा 4.13 हैक्टेयर कुल रकबा 6.37 हैक्टेयर को अपीलांट के हिस्सा में बताया। जबकि इस प्रकार का कोई विभाजन कभी भी नहीं हुआ था, ना ही इस प्रकार के विभाजन का कोई आधार है अपीलान्ट प्रत्येक खसरा नम्बर में 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि में काश्त करता है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी प्रत्येक कृषि भूमि के खसरा नम्बर में 1/2 हिस्सा पर काश्त करता है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाकर चुनौतीग्रस्त डिकी व निर्णय को अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। चुनौतीग्रस्त डिकी एवं निर्णय में वर्णित कृषि भूमियों का राजस्व रिकार्ड में अवलोकन किया जावे तो वादग्रस्त कृषि भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

खसरा नम्बर 164/1, 276/2, 59, 60, 184/4, 216/1 ग्राम तूनवा की संपूर्ण कृषि भूमियों में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हेमराम ने भी 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि अपनी होना मान्य करके ऋण प्राप्त कर रखा है एवं अपीलान्ट ने भी सभी कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त कर रखा है जो कि बैंक के रहन है परन्तु फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना चुनौतीग्रस्त डिक्री व निर्णय पारित कर दिया। जिसे खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय का अवलोकन किया जावे तो प्राथमिक डिक्री में शर्तों का अंकन किया है जबकि विचारण न्यायालय को इस प्रकार की कोई शर्त अंकित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में तहत विभाजन के संबंध में बनाये गये राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी नियम 1955 में नियम 20 में सिद्धान्त अंकित किये गये है नियम 21 में विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार बनाये जावे उसका अंकन किया है।) जिस कारण विचारण न्यायालय नियम 20 व 21 के विपरित किसी भी प्रकार की शर्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय में अंकित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था इसलिए चुनौतीग्रस्त डिक्री व निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों की सम्यक तामील हुई है। प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में रामलाल की तामील रजिस्टर्ड एडी से करवाई गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव के उपरांत अपीलांट के पास आपत्ति का अवसर उपलब्ध है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील नहीं करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तामील प्रकिया पूर्ण नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में दिनांक 20.03.2023 को दिनांक 06.04.2023 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की रजिस्टर्ड तामील जारी करने एवं प्राप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अंकन आदेशिका में है। विधि अनुसार प्रथम तो प्रतिवादी संख्या 1 की तामील रजिस्टर्ड एडी से करवाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नोटिस दिनांक 28.03.2023 को दिनांक 06.04.2023 के लिए जारी किया जाना प्रकट होता है। स्पष्ट है कि नोटिस जारी करने के 9 दिन बाद ही विचारण न्यायालय द्वारा तामील पूर्ण मानी जाकर विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की गई है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि रजिस्टर्ड तामील के लिए 30 दिवस का अवसर दिया जाता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्तं कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर